

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
पत्रांक 2769 / 14-1 बिजनौर, दिनांक, फरवरी, 25, 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :- मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा ग्राम चॉदपुर तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर की खसरा संख्या 2230 मि0 बदायू-बिजनौर प्रान्तीय मार्ग संख्या-51 किमी0 174 आर0एच0एस0 में 0.0775 हे0, संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति

संदर्भ :- आनलाईन सबमिशन संख्या एफ0पी0/यू0पी0/अर्दस/17805/2016।
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाईन सबमिशन जनपद बिजनौर में मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा ग्राम चॉदपुर तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर की खसरा संख्या 2230 मि0 बदायू-बिजनौर प्रान्तीय मार्ग संख्या-51 किमी0 174 आर0एच0एस0 में 0.0775 हे0, संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति माँगी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा-2 के अन्तर्गत 0.0775 हे0 संरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की हार्ड कापी चार प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कापी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक-हार्ड कापी की तीन प्रतियाँ।

भवदीय

(सलिल कुमार शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

1. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, चॉदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

(सलिल कुमार शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।